न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पुरूषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या : 116/2026
(CIS No. 116/2026)
(CNR No. RJRS060003892026)
प्र.सू.रि. संख्या : 95/2026 पुलिस थाना खमनौर, जिला राजसमंद

1. देवीलाल पिता वक्ता, उम्र 27 वर्ष, निवासी मोटा भीलवाडा गांवगुडा, पुलिस थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)
2. मदनलाल पिता नारायणलाल, उम्र 21 वर्ष, निवासी मोटा भीलवाडा गांवगुडा, पुलिस थाना खमनौर जिला राजसमन्द (राज.)

—प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक। **— अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अपराध अंतर्गत धारा 189(4), 190, 191(3), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :–

1. श्री मयंक पालीवाल – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2. श्री लोकेश कुमार माली – विद्वान अपर लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 13.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **देवीलाल व मदनलाल** की ओर से नियमित जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पुलिस थाना खमनौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2026 अन्तर्गत धारा 189(4), 190, 191(3), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जरिये अधिवक्ता के पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, अनुसंधान पत्रावली तलब की गई।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 14.05.2026 को प्रार्थी गोपाल लाल पुत्र खुमा गमेती निवासी मोटा भीलवाडा गांवगुडा ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 13.05.2026 को करीब 8.00 बजे वह तथा उसकी बुआ का लड़का पुनाराम, डालुराम तीनों उसके पुराने मकान से नये मकान पर जा रहे थे और पानी की टंकी के पास पहुंचे कि पीछे से मदन, देवीलाल, खेमराज व उसके दोस्त करीब 10–12 लड़के सभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये। मदनलाल के हाथ में चाकू व देवीलाल के हाथ में तलवार तथा दूसरे लड़कों के हाथ में लट्ठ थे। जिन्होंने आते ही उसके पीछे से वार कर मारपीट करना शुरू

हो गये। मदनलाल ने चाकू की उसके मारी जिससे उसके मुंह पर चोट लगी व देवीलाल ने पीछे से तलवार मारी जिससे उसके पीठ पर चोट लगी तथा दूसरों ने लट्ठ व लात मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। पुनाराम ने बीच बचाव किया तो उसके भी हाथ व पैर पर चोट लगी.....इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पुलिस थाना खमनौर के द्वारा प्रकरण संख्या 95/2026 अपराध अंतर्गत धारा 189(4), 190, 191(3), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रार्थी/अभियुक्त देवीलाल</u>

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	धारा	चार्जशीट नंबर	नतीजा विवरण	वि.वि
––शून्य––						

<u>प्रार्थी/अभियुक्त मदनलाल</u>

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	धारा	चार्जशीट नंबर	नतीजा विवरण	वि.वि
––शून्य––						

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उन्हें इस प्रकरण में झुठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गिरफ्तारी दिनांक से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण परिवार वाले व्यक्ति हैं तथा घर में इकलौते कमाने वाले हैं जिनके जेल में रहने पर परिवार वाले भुखे मर जायेंगे। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गरीब नौजवान व्यक्ति है। न्यायिक अभिरक्षा में अन्य आदतन अपराधियों के साथ रहने से उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेशानुसार मौतबिर जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है। प्रकरण में सहअभियुक्त डालुलाल को

न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी बहस में आहतगण के गंभीर प्रकृति की चोटें कारित होने से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। केस डायरी का आद्योपरांत परिशीलन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण संख्या 95/2026 अंतर्गत धारा 189(4), 190, 191(3), 115(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज होकर प्रकरण पुलिस थाना खमनौर में अनुसंधानाधीन है। केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रकट होता है कि दिनांक 13.05.2026 को समय करीब 8.00 बजे प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुये परिवादी गोपाल लाल एवं पुनाराम के साथ चाकू, तलवार व लठ से मारपीट कर उसके साधारण उपहति कारित की गई। केस डायरी पर परिवादी/आहत गोपाल लाल तथा आहत पुनाराम के चोट प्रतिवेदन उपलब्ध हैं जिनके अनुसार परिवादी/आहत के शरीर पर कुल 05 चोटें साधारण प्रकृति की तथा आहत पुनाराम के शरीर पर कुल 01 चोट साधारण प्रकृति की कारित होना अंकित है। आहतगण के शरीर के मार्मिक अंग पर कोई चोट होना प्रकट नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होना प्रकट नहीं है। प्रकरण में सहअभियुक्त डालुलाल का जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2026 को स्वीकार किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 16.05.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट होता है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **देवीलाल व मदनलाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 25–25 हजार रुपये की दो मौतबिर जमानतें एवं 50,000/–रूपये का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत्

न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के संतोषप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करा लें तो उन्हें पुलिस थाना खमनौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 95/2026 में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)

9. आदेश आज दिनांक **13.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)